

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-17/एल 1-29/2023

पटना, दिनांक- / / 2025

डा० हेम शंकर शर्मा, प्राध्यापक, औषधि विभाग, सह-प्राचार्य, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर के दिनांक-10.06.2025 से 17.06.2025 (कुल-08 दिन) तक की अवधि जो विदेश अवकाश के रूप में बितायी गयी है, को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

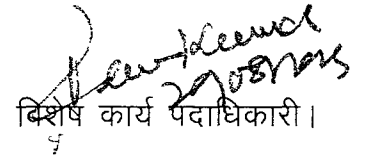
ज्ञापांक-17/एल 1-29/2023 - 950(17) पटना, दिनांक :- 20/08/2025

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (ले० एव ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डा० हेम शंकर शर्मा, प्राध्यापक, औषधि विभाग, सह-प्राचार्य, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।